उक्त में से कोई भी एक दस्तावेज निःशुल्क प्रवेश हेतु आयु के सबूत के लिये मान्य होगा तथा दस्तावेज पर अंकित बालक की जन्म तिथि को ही अंतिम माना जाएगा **परन्तु प्रवेश के उपरान्त भौतिक सत्यापन से पूर्व बालक का जन्म प्रमाण–पत्र बनवाकर विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाना आवश्यक होगा।** प्रवेश उपरान्त जन्म तिथि में किसी भी प्रकार का संशोधन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

03. प्रवेश हेतु टाईम फ्रेमः–

राज्य के सभी गैर सरकारी विद्यालयों में आरटीई अधिनियम के अन्तर्गत निःशुल्क सीट्स पर प्रवेश से सम्बन्धित विभिन्न गतिविधियों के सम्पन्न होने की एकरूपता की दृष्टि से निम्नानुसार टाईम फ्रेम निर्धारित किया जाता है :–

क्र.सं.	विवरण / गतिविधि	टाइमफ्रेम	दायित्व निर्धारण
1	विज्ञापन जारी करना	दिशा–निर्देश जारी होने के तत्काल बाद	निदेशालय व सम्बन्धित निजी विद्यालय
2	संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना	28 मार्च 2023 तक	संबंधित विद्यालय
3	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन आवेदन करना व दस्तावेज अपलोड करना।	29 मार्च 2023 से 10 अप्रेल 2023 तक	संबंधित अभिभावक
4	ऑनलाईन लॉटरी द्वारा प्रवेश हेतु बालको का वरीयता क्रम निर्धारण करना	12 अप्रेल 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
5	अभिभावकों द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना। *(विद्यालय चयन क्रम को बदलना)*	12 अप्रेल 2023 से 20 अप्रेल 2023 तक	अभिभावको द्वारा
6	विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रो की जांच करना (प्रथम चयनित विद्यालय द्वारा)	12 अप्रेल 2023 से 28 अप्रेल 2023 तक	गैर सरकारी विद्यालय
7	अभिभावक द्वारा दस्तावेजों में संशोधन करना।	12 अप्रेल 2023 से 5 मई 2023 तक	अभिभावको द्वारा
9	विद्यालय द्वारा **Request** किये जाने(बालक द्वारा दस्तावेज रि–अपलोड नहीं करने पर)/अभिभावक द्वारा संशोधन किये जाने पर सीबीईओ द्वारा जांच करना।	19 अप्रेल 2023 से 20 मई 2023 तक	सीबीईओ द्वारा
10	शेष समस्त आवेदन ऑटोवेरिफाई करना।	23 मई 2023	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
11	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना	24 मई 2023 को	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा
12	पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटीई सीट्स पर चयन करना (सशुल्क बालकों के प्रवेश एवं बालक के वरीयता के आधार पर)	25 मई 2023 से 15 सितम्बर 2023 तक	राज्य स्तर पर एनआईसी द्वारा

नोटः

01. क्र.सं. 1 पर अंकित गतिविधि **"विज्ञापन जारी करना"** के लिए संबंधित विद्यालय समाचार पत्रों/स्वयं की वेब साईट/स्थानीय स्तर पर प्रचार–प्रसार हेतु नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन, पेम्पलेट आदि का उपयोग कर व्यापक प्रचार–प्रसार सुनिश्चित करेंगे, जिससे विद्यालय में प्रवेश सम्बन्धी जानकारी आम नागरिकों तक पहुँच सके।
02. संबंधित विद्यालय/कार्यालय/अभिभावक को उपरोक्त टाईम फ्रेम में गतिविधि के सामने अंकित तिथि के अनुसार कार्य अनिवार्य रूप से सम्पन्न करना होगा।
03. विद्यालय प्रोफाईल को संबंधित **CBEO** द्वारा अपने लॉगिन में देखा जा सकेगा तथा टाईम फ्रेम द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि से पूर्व अपने परिक्षेत्र के समस्त गैर सरकारी विद्यालयों द्वारा प्रोफाईल भरवाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। अन्तिम तिथि को समस्त विद्यालयों का विद्यालय प्रोफाईल, पोर्टल द्वारा लॉक कर दिया जाएगा।
04. विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जांच का कार्य जल्दी से जल्दी पूर्ण करवायें, ताकि वरीयता क्रम के आधार पर बालक का चयन यथाशीघ्र हो सके।
05. विद्यालय द्वारा प्राप्त समस्त आवेदन पत्रों की जांच कर उन्हें सत्यापित किया जायेगा दस्तावेजों में किसी प्रकार की त्रुटि पाये जाने पर विद्यालय द्वारा त्रुटि पूर्ण दस्तावेज पर आक्षेप लगाया जायेगा। यह आक्षेप अभिभावक एवं सीबीईओं लॉगिन पर प्रदर्शित होगा **साथ ही अभिभावक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर संदेश(SMS) प्राप्त होगा।** अभिभावक द्वारा दस्तावेज को संशोधित कर सात दिवस में अपलोड करना